

27.10.25.

पत्रावली पैरा ईई । वकील प्रार्थी
उपरिखत वकील प्रार्थी ने पत्रावली में
झागे कोई कार्यवाही नहीं चाहते एवं
न्यायालय द्वारा अब तक की गई कार्यवाही
से संतुष्ट हैं। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली
नोट प्रेस करने का निर्देश किया।
वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस किये जाने के
आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया
गया।

~~*~~

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

[Faint handwritten notes and signatures]